

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO:- 2025/827

-:: आदेश ::-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पादरू व भू.अ.नि. पादरू की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना/समदड़ी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, माणशिवोर्ड पमाण पत्र, जार्ति व मूल निवास पमाण पत्र। पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना/समदड़ी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार सिवाना/समदड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	इटवाया	137, 138, 139, 143, 148, 149.	राजू राम पुत्र	राजेन्द्र कुमार पुत्र
02	वावनेगर	82, 83, 85, 221, 247	फुआ राम	फुआ राम

(सुरेन्द्र सिंह खंभासेन)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

कमांक- /राजस्व/ग्रा.से.शिविर/2025/70

दिनांक:- 25-10-2025

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार सिवाना/समदड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी/प्रार्थीगण राजेन्द्र कुमार पुत्र फुआ राम जाति मेधावाल निवासी इटवाया तहसील सिवाना/समदड़ी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावाली।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)